संख्या-98/2025/50/2025/71-1002/79/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 30 मार्च, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज झांसी में विभिन्न छात्रावासों के आंतरिक विद्युतीकरण को अपग्रेड कराये जाने सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-95 /2025/।/923846 /2025/71-1002/79/2023 , दिनांक 30.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज झांसी में विभिन्न छात्रावासों के आंतरिक विद्युतीकरण को अपग्रेड कराये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 492.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या31- के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से उक्त परियोजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0 492.21 लाख (रुपये चार करोड़ बानवे लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2025 के प्रतिलिपि के क्रमांक-3,4 एंव 5 में अंकित कानपुर के स्थान पर झांसी पढ़ा व समझा जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।